mail

## भारतीय दण्ड प्रकिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अर्न्तगत आदेश

महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन, फतेहाबाद ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक/30 स्टैनों दिनांक 04.01.2019 के द्वारा सूचित किया है कि हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सघं दिनांक 08,09.01.2019 को प्रदेश व्यापी हड़ताल करने का आवहन किया है। कर्मचारियो द्वारा वाहनो को नुकसान पहुंचाने एवं टायरो की हवा निकालने व उक्त तिथि को मार्ग पर बसें ले जाने वाल चालको/परिचालकों का (बस अडे के गेट के आगे बसे लगाकर व बस स्टैड के मेन गेट पर दरी बिछा कर अन्य विभागों के कर्मचारियो के साथ मिलकर) मार्ग अवरूद्व करने का अन्देशा है जिससे आम जन को परेशानी का सामना करना पड सकता है इसलिए कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा अवांछित तत्वों का प्रवेश रोकने हेतु धारा 144 द0प0सं0 के आदेश पारित करने का अनुरोध किया है ताकि कानून व्यवस्था बनाई रखी जा सके।

जैसा कि पांच या इससे अधिक हडताली कर्मचारियों का एकत्रित होना शांति प्रकिया में बाधा का कारण बन सकता है। अतः दण्ड प्रकिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अर्न्तगत प्रदत शक्तियों के अर्न्तगत में मैं, जे.के.आभीर भा0प्र0सें0 जिलाधीश फतेहाबाद तुरन्त प्रभाव से सामान्य बस स्टैड, फतेहाबाद/टोहाना/रतिया के आस–पास के क्षेत्र (200 मीटर) की परिधि मे पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध लगाता हूँ। ये आदेश पुलिस तथा अन्य सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों पर, जोकि अपनी डियूटी पर तैनात हों, पर लागू नहीं होंगे।

आपातकालीन स्थिति व समय की कमी तथा परिस्थितियों के दृष्टिगत में यह आदेश सम्बन्धित ब्यक्तियों की अनुपस्थिति में पारित करता हूँ तथा यह जन सामान्य को सूचना व पालानार्थ सम्बोधित है।

**यह आदेश दिनांक 07–01–2019 से 10–01–2019 तक प्रभावी रहेंगे ।**

इस आदेश का शहर फतेहाबाद में ढोल बजाकर जिला लोक सम्पर्क विभाग की वैन/जीप द्वारा मुनादी करवाकर तथा जिला कचैहरी, उपमण्डल कचैहरी, तहसील कचैहरी तथा सार्वजनिक स्थानों व पुलिस स्टेशनों पर नोटिस चस्पा करके प्रचार किया जाए।

उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोशी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अनुसार दण्ड का भागी होगा।

यह आदेश आज दिनांक 7–01–2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

Seal of ... FATEHABAD

जिलाधीश, फतेहाबाद।
District Magistrate
FATEHABAD

पृ0 क्रमांक 261–300 /एम0ए0 दिनांक 7/1/19

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चण्डीगढ।
3. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा चण्डीगढ।
4. अतिरिक्त पुलिस महा निदेशक, सी0आई0डी0, हरियाणा, पंचकूला।
5. आयुक्त, हिसार मण्डल, हिसार।
6. पुलिस महानिरीक्षक, हिसार रेंज हिसार।
7. जिला सत्र एवं न्यायधीश, फतेहाबाद।
8. राज्य के समस्त जिलाधीश ।
9. निदेशक प्रशासन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा ,पंचकुला ।
10. अतिरिक्त उपायुक्त, फतेहाबाद।
11. प्रवर पुलिस अधीक्षक, फतेहाबाद 10 प्रति अलग से प्रचार एवं प्रसार हेतु।
12. उपमण्डलाधीश, फतेहाबाद/टोहाना/रतिया।
13. जिला राजस्व अधिकारी, फतेहाबाद।
14. महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन, फतेहाबाद।
15. सभी खण्ड एवं विकास पंचायत अधिकारी ।
16. सभी तहसीलदार/उप तहसीलदार फतेहाबाद ।
17. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, फतेहाबाद 10 प्रति अलग से प्रचार एवं प्रसार हेतु।
18. स्टैनों समीप उपायुक्त, फतेहाबाद।

जिलाधीश, फतेहाबाद।
District Magistrate
FATEHABAD